

जलवायु परिवर्तन की समस्या और सार्क की पहल

डॉ० आशीष धर त्रिपाठी

विकास अध्ययन केन्द्र, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश, भारत।

प्रस्तावना

जलवायु परिवर्तन मौजूदा समय में मानवता के सामने सबसे बड़ी चुनौती है। यह चुनौती विकासशील देशों, खास तौर से दक्षिण एशिया के लिए सबसे ज्यादा गंभीर है। जलवायु परिवर्तन का सबसे ज्यादा असर गरीबों पर पड़ता है। उनके पास अपनी स्थिति बचाए रखने और पर्यावरणीय बदलाव से रक्षा के लिए संसाधनों का अभाव रहता है। विश्व बैंक ने 2015 के अपने दृष्टिकोण पत्र में अवलोकन किया है कि दक्षिण एशिया के करीब 50 करोड़ आबादी रोजाना 3.25 डॉलर से भी कम पर जीवन बसर करती है। अतः एक छोटा सा जलवायु परिवर्तन भी अपूर्णनीय क्षति पैदा करेगा और एक बड़ी आबादी को निराश्रित कर देगा। जलवायु परिवर्तन के एक छोटे से प्रभाव का इसी से अनुमान लगाया जा सकता है कि पिछले दो दशकों में दक्षिण एशिया के 75 करोड़ से ज्यादा लोग प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हुए हैं। मानवीय और आर्थिक आंकड़े काफी ज्यादा हैं। करीब तीन लाख मौतें और 50 खरब डॉलर का नुकसान हुआ है।

राजनीतिक और सामाजिक विकास भी जलवायु परिवर्तन के लिए जिम्मेवार होते हैं। बड़े परिप्रेक्ष्य में अत्यन्त दबाव के जरिए यह कमजोर या पतनशील सरकार की अस्थिरता को बढ़ा देता है, क्योंकि जिन चुनौतियों का सामना सरकार कर रही होती है उससे निपटने की क्षमता पहले ही सीमित हो चुकी होती है। यहां तक कि यह सम्पन्न और सम्पन्नता की ओर अग्रसर देशों और पूरे क्षेत्र को भी अस्थिर कर सकता है, क्योंकि सरकारों के पास जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से बचाने की क्षमता का अभाव रहता है।

दक्षिण एशिया एक गरीब और विकासशील क्षेत्र है इसलिए स्वास्थ्य संबंधी असर के लिए यह इलाका अत्यंत संवेदनशील है। जलवायु परिवर्तन से पर्यावरणीय विस्थापन एक अन्य मुद्दा खड़ा हो सकता है। दक्षिण एशियाई देश विस्थापन से सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं। यह चेतावनी दी जाती है कि तटीय इलाके खास तौर से दक्षिण पूर्व के बड़े डेल्टाई क्षेत्र और पश्चिम के सघन आबादी वाले इलाकों को ज्यादा खतरा हो सकता है। तटीय इलाकों में समुद्र के उमड़ने और बड़े डेल्टा में नदियों से बाढ़ आने का खतरा है। साउथ एशियन एन्वायरमेंट आउटलुक 2014 के मुताबिक मानवीय विस्थापन के लिहाज से पश्चिम बंगाल, तटीय महाराष्ट्र, तटीय तमिलनाडु, तटीय आंध्रप्रदेश, गुजरात, तटीय ओडीशा, पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी कर्नाटक के अलावा श्रीलंका के तटीय इलाके और मालदीव सबसे ज्यादा संवेदनशील है।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) ने वैश्विक पर्यावरण की समीक्षा के लिए दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को दक्षिण एशियाई पर्यावरण आउटलुक जारी करने के लिए कहा था। रिपोर्ट में देश और पर्यावरण की परिपाटी का खुलासा हुआ। जिन बातों का रिपोर्ट में पता चलता है उनमें भूमि, वायु, जल और जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन के पांच कारक, खाद्य सुरक्षा जल सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा और शहरीकरण प्रबंधन भी शामिल हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि दक्षिण एशिया के पास दुनिया की 5 फीसदी जमीन और द्रव्यमान हैं, लेकिन इस इलाके में दुनिया की 20

प्रतिशत आबादी निवास करती है। इसमें 2025 तक 25 प्रतिशत का इजाफा होने का अनुमान है। दक्षिण एशिया की आबादी का तीन चौथाई हिस्सा गांवों में निवास करती है जिसमें एक तिहाई लोग अत्यन्त गरीब हैं। ये लोग अंतः वायु प्रदूषण में जीने के लिए मजबूर हैं जो स्वास्थ्य के लिहाज से अत्यंत खतरनाक है। रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि दक्षिण एशिया जलवायु परिवर्तन के लिहाज से अत्यन्त संवेदनशील है। जलवायु परिवर्तन का असर हिमालयी क्षेत्र में ग्लेशियरों के सिकुड़ने के रूप में महसूस किया जा सकता है। प्रकृति के अनोखे भंडार ये ग्लेशियर सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र जैसी प्रमुख नदियों के जल प्रवाह को बनाए रखने में मददगार हैं। ये नदियां दक्षिण एशिया के देशों बांग्लादेश, भूटान, भारत, नेपाल और पाकिस्तान के लाखों लोगों की जीवन-रेखा मानी जाती है। बदलती परिस्थिति सहस्राब्दि के दो बड़े लक्ष्यों गरीबी घटाने और स्वच्छ पेयजल मुहैया कराने को पूरा करने के सामने गंभीर चुनौती पैदा करती है।

पर्यावरण का मुद्दा और सार्क की पहल

दक्षिण एशिया के सात देशों बांग्लादेश, भूटान, भारत, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका की सरकारों ने 7-8 दिसंबर 1985 को बांग्लादेश की राजधानी ढाका में आयोजित पहले शिखर सम्मेलन में दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ (सार्क) का औपचारिक रूप से गठन किया। शिखर सम्मेलन में सभी देशों ने सार्क के चार्टर को मंजूरी दी।

चार्टर में सार्क के संस्थागत ढांचे को तय किया गया है और इसके प्रशासनिक एवं संचालन तंत्र को परिभाषित किया गया है। इसका स्वरूप पिरामिडल है जिसमें शिखर सर्वोच्च है और उसकी सहायता के लिए मंत्रिपरिषद व सदस्य देशों के विदेश सचिवों की स्थायी समिति की व्यवस्था की गई है। सहयोग के हर सहमत क्षेत्र के लिए तकनीकी समितियों का एक नेटवर्क संगठन को प्रशासकीय ढांचा मुहैया कराता है। मंत्रि परिषद का कामकाज मंत्रिमंडल की तरह होता है और वह मामलों को शिखर को सौंपता है। शिखर मामलों पर चर्चा के बाद स्थायी समिति के माध्यम से आगे बढाता है। इसलिए स्थायी समिति मंत्रिपरिषद और शिखर के द्वारा लिए गए फैसलों के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यकारी एजेंसी है।

अपने स्थापना काल से ही सार्क ने पर्यावरण के मुद्दे और जलवायु परिवर्तन से मुकाबला करने के लिए महत्वपूर्ण पहल किए हैं। नेपाल की राजधानी काठमांडू में 2-4 नवंबर 1987 को हुए तीसरे सार्क शिखर सम्मेलन में अन्य बातों के साथ-साथ पर्यावरण के रक्षा और संरक्षण एवं प्राकृतिक आपदा के कारणों और प्रभाव का सुनियोजित एवं समग्र रूपरेखा में अध्ययन कराने का फैसला लिया गया। असल में इन अध्ययन का फैसला लेते हुए शीर्ष नेताओं ने दक्षिण एशिया क्षेत्र में जंगलों के तेजी से हो रहे विनाश समेत पर्यावरण की लगातार बिगड़ती हालत पर गहरी चिंता जताई। उन लोगों ने यह भी पाया कि दक्षिण एशिया मानव जीवन पर गंभीर प्रभाव डालने वाले बाढ़, सूखा, भूस्खलन, चक्रवात,

तूफानी लहरों जैसी प्राकृतिक आपदाओं प्रभावित है। यह दुनिया के सबसे गरीब क्षेत्रों में से एक है और उच्च जनसंख्या वृद्धि दर के साथ-साथ सबसे धनी आबादी वाला इलाका भी है। सार्क के सदस्य देशों में दुनिया की आबादी के 20 प्रतिशत लोग निवास करते हैं। 3.5 प्रतिशत भूभाग में निवास करने वाले ये लोग दुनिया की जीएनपी का महज 2 प्रतिशत उत्पादन करते हैं। ये सामाजिक-आर्थिक स्थितियां प्राकृतिक वातावरण पर अत्यधिक दबाव उत्पन्न करती हैं। इसके अलावा लोगों का जीवन स्तर सुधारने के लिए जरूरी औद्योगिक, कृषि और ऊर्जा के क्षेत्र के विकास कार्यक्रम कचरा उत्पादन के जरिए पर्यावरणीय समस्याएं उत्पन्न करते हैं। भारी मांग के कारण प्राकृतिक संसाधन आधार पर जोर पड़ता है। भयंकर गरीबी के कारण सार्क क्षेत्र में पर्यावरण की बिगड़ती हालत का सबसे ज्यादा असर गरीबों पर पड़ रहा है और ऊंचे पहाड़ी इलाकों के ढलान, शुष्क और रेगिस्तानी क्षेत्र और बाढ़ वाले मैदानी इलाकों में प्राकृतिक आपदाओं में भी वृद्धि हो रही है।

उत्पादकता को स्थायी रखने के लिए दक्षिणी एशिया के प्राकृतिक संसाधन आधार का अत्यन्त सावधानी और पूरी चालाकी के साथ प्रबंधन करने की दरकार है जिससे मौजूदा और भावी पीढ़ी अपनी जरूरतें पूरी कर सकें और पर्यावरण के साथ दोस्ताना माहौल में रह सकें।

वैश्विक समझौते और सार्क की साझा स्थिति

जलवायु परिवर्तन पर सीओपी पंद्रहवें सम्मेलन (कोपेनहेगन-दिसंबर, 2009) में सार्क की साझा स्थिति श्रीलंका ने सार्क के अध्यक्ष की हैसियत से रखी थी। सीओपी 15 के लिए जलवायु परिवर्तन पर सार्क के सदस्य देशों के न्यूयार्क स्थित स्थायी प्रतिनिधि ने एक संयुक्त वक्तव्य भी जारी किया था। अप्रैल 2010 में भूटान की राजधानी थिंपू में हुए 16वें सार्क शिखर सम्मेलन के निर्देशों पर भूटान ने अगस्त 2010 में एक अंतर-सरकारी बैठक का आयोजन किया। यह बैठक पर्यावरण मुद्दा और सार्क की पहल, सीओपी 16 (कैनकून मैक्सिको दिसम्बर 2010) में सार्क के अध्यक्ष की हैसियत से भूटान द्वारा जलवायु परिवर्तन पर सार्क की साझा स्थिति तैयार करने के लिए आयोजित की गई थी। ध्यातव्य है कि सार्क देशों ने भी जलवायु परिवर्तन पर एक साझा स्थिति तैयार की थी। अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनर्स आयर्स में आयोजित जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के पार्टियों के चौथे सम्मेलन (सीओपी-4) के मौके पर सार्क देशों के पर्यावरण मंत्रियों ने 30 अक्टूबर और 1 नवम्बर 1998 को श्री श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में बैठक की थी और इस बात पर सहमत हुए थे कि क्योटो प्रोटोकॉल की संपुष्टि और उसे लागू कराने के लिए दस्तखत की प्रक्रिया तेज करने का आग्रह करेंगे। सार्क देशों के मंत्री ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन कम करने की अपनी प्रतिबद्धता को घरेलू स्तर पर लागू करने के लिए अनिवार्य और प्रभावी कदम उठाने पर भी राजी हुए थे। इससे पहले जुलाई 1998 में आयोजित दसवें सार्क शिखर सम्मेलन में नेताओं ने क्योटो प्रस्ताव को मंजूरी देने से पूर्व एक साझी रणनीति इन शब्दों में अपनाई थी देश या सरकार के प्रमुखों ने जापान के क्योटो में आयोजित संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के तीसरे सम्मेलन (सीओपी-3) से पूर्व एक साझी स्थिति अख्तियार करने पर अपनी संतुष्टि जाहिर की है। नेताओं ने दिसंबर 1997 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन के सम्मेलन में पारित क्योटो प्रस्ताव का स्वागत किया जलवायु प्रणाली के संरक्षण के लिए प्रोटोकॉल के महत्व को रेखांकित किया। सार्क ने 2007 को ग्रीन साउथ एशिया वर्ष के रूप में घोषित किया। इसी साल अप्रैल माह में सार्क नेताओं ने 14वें शिखर सम्मेलन में भूजल में अर्सेनिक प्रदूषण की समस्या से निपटने

मरुस्थल के प्रसार और ग्लेशियरों के सिकुड़ने पर सहयोग और प्रभावित लोगों की सहायता तेज करने के प्रति प्रतिबद्धता जताई। वैश्विक जलवायु में हो रहे बदलाव और समुद्र के स्तर में हो रही वृद्धि और इससे क्षेत्र में जीवन और जीवन स्तर पर पड़ रहे प्रभाव को लेकर नेताओं ने गंभीर चिंता जताई। उन लोगों ने इसके खतरे और प्रभाव के आंकन एवं प्रबंधन की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने जलवायु परिवर्तन के परिणाम पर पहल और कार्यक्रम अपना ने का आह्वान किया जिसके तहत भविष्यवाणी चेतावनी और निगरानी के साथ-साथ जलवायु परिवर्तन पर जानकारी साझा करना था ताकि दक्षिण एशिया में लोचदार जलवायु विकास पर काम किया जा सके। इसके लिए सभी नेता इस दिशा में साझी कार्यवाही की पहचान के लिए क्षेत्रीय विशेषज्ञों की टीम गठित करने पर राजी हुए।

सार्क देशों के पर्यावरण मंत्रियों की 2008 में ढाका में हुई बैठक में जलवायु परिवर्तन पर सार्क की कार्य योजना को मंजूरी दी गई। इस कार्य योजना का लक्ष्य क्षेत्रीय सहयोग के जरिए कार्यान्वित होने योग्य गतिविधियों की पहचान एवं अवसर तैयार करना और तकनीकी एवं जानकारी आदान-प्रदान करने के रूप में सहयोग, राष्ट्रीय स्तर की गतिविधि के जरिए जलवायु परिवर्तन पर क्षेत्रीय स्तर की कार्ययोजना को इनपुट मुहैया कराना और बाली एक्शन प्लान जैसी यूपनएफ0सीसीसी वैश्विक समझौता प्रक्रिया का समर्थन, एक आम समझौता या समझौते के विभिन्न मुद्दों के जरिए सार्क के सदस्य देशों की चिंता को प्रभावी रूप से व्यक्त करना था। कार्ययोजना क्योटो प्रोटोकॉल में परिभाषित नॉन एनेक्शर-1 देशों की चिंताओं की धीमी प्रगति और आभासी समझौते पर विकसित देशों के संकट का प्रतीक बन गया। कार्ययोजना के लक्ष्यों में सामूहिक आत्मनिर्भरता की झलक उस पुराने युग की याद दिलाने जैसा था जब उत्तर दक्षिण गतिरोध पर चर्चा अपने चरम पर थी। भूटान की राजधानी थिंपू में अप्रैल 2010 में आयोजित 16वां सार्क शिखर सम्मेलन जलवायु परिवर्तन को समर्पित रहा। सार्क की स्थापना की रजत जयंती इस शिखर सम्मेलन की घोषणा में सार्क को हरित और खुशहाल दक्षिण एशिया की ओर करार दिया गया। ढाका घोषणा के अनुपालन और जलवायु परिवर्तन पर सार्क की कार्ययोजना की समीक्षा और इसके समय पर लागू करना सुनिश्चित करने के लिए हुई शिखर वार्ता में जलवायु परिवर्तन पर थिंपू घोषणा पत्र को मंजूरी दी गई।

क्षेत्रीय सहयोग पर सार्क के पहल के ढपोखंखी होने का सबूत 2010 के जुलाई-अगस्त महीने में पाकिस्तान में आई भयंकर बाढ़ के दौरान देखने को मिला। इस आपदा ने न केवल पाकिस्तान के कई हिस्सों में ढांचा तबाह कर दिया, बल्कि करीब 2 करोड़ आबादी प्रभावित हुई। सार्क देशों से 3.2 करोड़ डॉलर की मामूली सहायता के अलावा भयंकर आपदा से प्रभावित सदस्य देश के लिए सहायता का और कोई वास्तविक रूप नहीं दिखाई दिया। पाकिस्तान में आई इस आपदा से महज कुछ ही महीने पहले अप्रैल 2010 में थिंपू में सार्क की जलवायु थीम की रजत जयंती मनाई गई थी। असल में सार्क क्षेत्र के द्विपक्षीय विवादों की गिरफ्त में है और उसका शिकार भी है। शीत युद्ध के बाद की परिस्थिति ने भारत के लिए सार्क के माध्यम से दक्षिण एशियाई क्षेत्रीयता प्रदर्शित करने का एक बड़ा मौका मुहैया कराया। हालांकि भारत और सार्क के अ न्य सदस्य देशों खास तौर से भारत व पाकिस्तान के बीच विवादों की जड़ इतनी गहरी है कि शीत युद्ध के बाद दुनिया में तनाव कम करने की परंपरा का भी उस पर कोई असर नहीं दिखता। भारत और पाकिस्तान के बीच मुख्य मुद्दा केवल कश्मीर (जैसा पाकिस्तान दावा करता है) तक ही सिमटा हुआ नहीं है, बल्कि दोनों देशों के स्वभाव में ही बुनियादी फर्क मौजूद है। देशों के बीच यह बुनियादी फर्क पाकिस्तान के धर्म के आधार पर

गठन और भारत का धर्मनिरपेक्ष विचारधारा का होने में ही निहित है।

2015 सार्क सदस्य देशों ने जलवायु परिवर्तन को लेकर साझा हित प्रदर्शित किया। सार्क सदस्य देशों ने 2020 फ्रेमवर्क पर साथ मिलकर आगे बढ़ने की बात की। लेकिन इस दिशा में आगे कोई ठोस प्रगति नहीं दिखाई दी। 17वां सार्क सम्मेलन सहयोग के अभाव का एक और उदाहरण देखने को मिला। सदस्य देशों ने प्राकृतिक आपदा से तुरन्त निपटने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए लेकिन नेपाल में आए भूकम्प में भारत को छोड़कर किसी अन्य सदस्य देश की तरफ से कोई सहायता तवरित स्तर पर नहीं की गई।

सार्क की 17वीं बैठक मार्च 17, 2016 को सम्पन्न जलवायु परिवर्तन जैसे मुद्दों पर बिना किसी समझौते के समाप्त हो गयी। इन सदस्य देशों ने आपसी सहमति से जैविक ईंधन पर निर्भरता कम करने की बात स्वीकार की और पेरिस जलवायु परिवर्तन समझौते पर सहमति व्यक्त की। सहमति समान लेकिन अपनी क्षमतानुसार जिम्मेदारी पर आधारित थी।

पर्यावरणीय मुद्दा या जलवायु परिवर्तन पर सार्क के प्रयास और रोडमैप प्रभावशाली नजर आता है। हालांकि समस्या इनके कार्यान्वयन में है। कुछ आलोचकों का तर्क है कि सार्क के पास ऐसा रोडमैप है जिसमें केवल मैप है रोड पर कोई गतिविधि नहीं है। सार्क देशों खास तौर से इसके दो बड़े सदस्य भारत और पाकिस्तान के बीच राजनीतिक तनाव कारण कार्यान्वयन असंतोषप्रद है। हालांकि दोनों ही देशों के प्रतिष्ठान में रिश्ते को सामान्य बनाने का बोध जगा है। दक्षिण एशिया में तेजी से उभर रहे नागरिक समुदायों का भी क्षेत्र के देशों के बीच संबंधों में सुधार का जोरदार दबाव पड़ रहा है। यदि सदस्य देशों के बीच शांति और विश्वास बहाल हो जाता है तो सार्क प्रभावशाली हो सकता है और जलवायु परिवर्तन घोषणाओं और प्रस्तावों को प्रभावी तरीके से लागू किया जा सकता है।

संदर्भ

1. South Asian Environment Outlook-2009, SAARC Secretariat, Kathmandu, 2009, p.1
2. SAARC Workshop Climate Change and disasters: emerging Trends and Future Strategies August Kathmandu, Nepal, 2008, 21-22.
3. Regional Study on the causes and consequences of natural disasters and the Protection and Preservation of the Environment, SAARC Disaster Management Centre, New Delhi, 2008.
4. Chudhary, Anasua Basu Ray. SAARC at crossroads: Fate of Regional Co-operation in South Asia, New Delhi: Samskriti, 2006.
5. Pattanaik, Smruti S. SAARC at Twenty-Five an Incredible Idea Still in Its Infancy", Strategic Analysis, 2010; 34(5):671-677.
6. Declaration of Tenth SAARC Summit, Colombo, July, 1988, Declaration of SAARC Summits, 1985-1998.